2017/53

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –43 / 2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
जोगाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी नन्दवाणी तहसील खींवसर जिला नागौर		1. सायरी पुत्री रेखाराम पत्नी गणेशराम जाति जाट निवासी गुढाभगवानदास तहसील खींवसर जिला नागौर 2. सुगनी पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी नन्दवाणी तहसील खींवसर जिला नागौर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री बाबुलाल खोजा, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 सुगनी की ओर से वकील श्री श्रवण कुमार प्रजापत एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक : 03-10-2017

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम नन्दवाणी तहसील खीवसर का म्यूटेशन संख्या 406 जो तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 10.12.2004 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 28.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है।

कलक्टर, नागौर

वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के नाना रेखाराम की सारी जायदाद का हकदार हुआ तथा अपीलांट के नाना का देहान्त सन् 2004 में हो गया तब अपीलांट ने सारे क्रियाक्रम की रशमे निभाई। अपीलांट के नाना ने अपनी स्वअर्जित सम्पति अपीलांट को वसीयत कर रखी है और अपीलांट ने पटवारी हल्का को वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण करने का निवेदन किया। मगर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण वसीयतनामा के आधार पर नहीं कर पुश्तेनी भूमि मानकर नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सायरी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुगनी के नाम स्वीकृत कर दिया जो कानूनी रूप से गलत किया। अपीलांट को उक्त सारी बात की जानकारी होने पर नकल खतौनी व नामान्तरकरण की नकल की प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2017 को पेश किया जिस पर दिनांक 27.03.2017 को प्रमाणित प्रति मिलने पर कानूनी राय लेकर अपील तैयार करवा कर आज ही अपील पेश की है, जिससे न्याय हित में देरी माफ कर अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी का माफ करते हुए न्याय हित में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुऐ कथन किया वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी है तथा पूर्व में जागीरी के समय से रेखाराम के पिता व दादा का कब्जा काश्त व हक अधिकार रहता चला आया है, ऐसी स्थिति में रेखाराम को वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि की

वसियत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। अपीलान्ट को विवादित नामान्तरकरण शुरू से ही जानकारी थी, अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि 1/3 हिस्सा सायरी का होना स्वीकार किया और उक्त हिस्सा स्वीकार करते हुए दिनांक 25.07.2016 को अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सुगना का हिस्सा अपने पक्ष में तर्क करवा लिया है, जो तर्कनामा से स्पष्ट है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही थी फिर 2016 में जानकारी हो जाना दस्तावेज साक्ष्य से साबित होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट का आवेदन पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा बहस में किये गये कथनों पर अपनी सहमति व्यक्त की। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के वकील ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस पर अपनी सहमति व्यक्त की।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में इस अपील का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील पर मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की माता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सायरी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुगनी नानी है। अपीलांट के नाना रेखाराम के एक पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सायरी ही जन्मी थी, अन्य कोई पुत्र व पुत्री नहीं हुऐ। अपीलांट की माता सायरी का विवाह गुढाभगवानदास में अपीलांट के पिता गणेशराम के साथ हुआ। अपीलांट के माता पिता के 7 संतान जिनमें चार भाई व तीन बहिने हुई। अपीलांट 4 साल की उम्र से ही अपने नाना रेखाराम के साथ रहने लगा तथा वहीं बडा हुआ, अपीलांट अपने नाना नानी की सेवा चाकरी करता था। अपीलांट के नाना नानी ने अपीलांट को ही वारीस मानकर अपनी स्वअर्जित खातेदारी की भूमि व मकान व सारी जायदाद अपीलांट को वसीयत कर दी। खातेदारी के खेताय खसरा नम्बर 324 रकबा 19.18 बीघा व खसरा नम्बर 325 रकबा 18.01 बीघा कुल रकबा 37.19 बीघा वाके नन्दवाणी व मकान, बाडा तथा चल व अचल सम्पति का वसीयतनामा दिनांक 23.12.1994 को लिख कर रजिस्टर्ड करवा दिया। तब से ही अपीलांट का कब्जा काश्त है।

अपीलांट के नाना रेखाराम की सारी जायदाद का हकदार हुआ तथा अपीलांट के नाना का देहान्त सन् 2004 में हो गया तब अपीलांट ने सारे क्रियाक्रम की रश्मे निभाई। अपीलांट के नाना ने अपनी स्वअर्जित सम्पति अपीलांट को वसीयत कर रखी है और अपीलांट ने पटवारी हल्का को वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण करने का निवेदन किया। मगर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण वसीयतनामा के आधार पर नहीं कर पुश्तेनी भूमि मानकर नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सायरी अपीलांट की माता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुगनी के नाम स्वीकृत कर दिया जो कानूनी रूप से गलत किया। पटवारी हल्का ने अपीलांट को नामान्तरकरण स्वीकृत कराने से पहले कोई सूचना नहीं दी न ही कोई नोटिस दिया, अपीलांट को बिना सुने ही बाले बाले ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी गलती की जो कानूनी रूप से सही नहीं होने से नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट ही अपने नाना का जरिये वसीयतनामा के समस्त जायदाद का वारीस एक मात्र है। उक्त खेताय पर अपीलांट काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त सारी जायदाद पर कोई हक नहीं है। अपीलांट की माता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम गुढाभगवानदास में निवासी करती है तथा अपीलांट के पिता व भाईयों के साथ ही रहती है। इन हालात में मौके की जांच किये बिना व वसीयतनामा को नजरअन्दाज करते हुए नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने में तहसीलदार ने विधिक त्रुटि की है, जिससे नामान्तरकरण जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरूद्ध

कलक्टर, नागौर

स्वीकृत किया होने से अपास्त, निरस्त, संशोधित किया जाकर अपीलांट के हक में उक्त स्वअर्जित सम्पति बाबत हुए वसीयतनामा के आधार पर उपरोक्त जायदाद का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम भरने बाबत उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज–37, आर.आर.डी. 2004 पेज–97, आर.आर.डी. 2002 पेज–268, आर.आर.डी. 2002 पेज–54, आर.आर.डी. 2002 पेज–147, आर.आर.डी. 2013 पेज–280, आर.आर.डी. 2009 पेज–195, आर.आर.डी. 2008 पेज–804, आर.आर.टी. 2013(1) पेज–473 न्यायिक दृष्टांन्त पेश किये।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने स्वंय द्वारा प्रस्तुत जवाब में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश / नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त / संशोधित किया जाकर अपीलांट के हक में उक्त स्वअर्जित सम्पति बाबत हुऐ वसीयतनामा के आधार पर उपरोक्त जायदाद का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम भरा जावें तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुगनी को कोई उजर आपत्ति नहीं है।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पुस्तेनी भूमि है तथा पूर्व में जागीरी के समय रेखाराम के पिता व दादा का कब्जा काश्त व हक अधिकार रहता चला आया है। इसी दौरान रेखाराम के पिता का देहान्त हो गया तो वादग्रस्त भूमि की खातेदारी सिस्टम अनुसार रेखाराम के नाम दर्ज हो गई, जो भूमि पुश्तैनी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि रेखाराम की स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पुश्तैनी भूमि है। अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त भूमि रेखराम की स्वअर्जित भूमि हो। ऐसी स्थिति में रेखाराम को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि की अपीलान्ट को वसियत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। अपीलान्ट ने वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण भरवाने की कार्यवाही की तो भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर विवादित भूमि के कब्जा काश्त के संबंध में राजस्व रेकर्ड के संबंध में जॉच के दौरान विवादित भूमि पर 1/3 हिस्सा अपीलान्ट का व 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का व 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 का कब्जा काश्त पाया गया व वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी पायी गई तब रेखाराम के प्रत्येक उत्तराधिकारी के नाम अपीलान्ट की सहमति से विवादित नामान्तरकरण विधि अनुसार स्वीकार किया गया, जिस नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को नामान्तरकरण के दिन से ही रहती चली आई है। अब भूमि की कीमत बढ़ जाने से अपीलान्ट की नियत खराब हो जाने से तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने पिता की सम्पति से वंचित करने की नियत से यह झूठी अपील बनावटी तथ्यों के आधार पर पेश की है। रेखाराम के देहान्त के समय सारे क्रियाकम रेखाराम की पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने की थी। अपीलान्ट ने 13 साल तक कोई आपत्ति नहीं की थी।

अपीलान्ट स्वंय ने ही नामान्तरकरण भरवाने की कार्यवाही की गई थी, जो अपीलान्ट स्वंय ने अपनी अपील के पैरा संख्या–2 में स्वीकार किया है, जिस पर अपीलान्ट का यह कथन की उसने वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी, मिथ्या कथन है। इसके अलावा जब स्वंय अपीलान्ट ने नामान्तरकरण भरने की कार्यवाही की थी, तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सूचना देना व सुनवाई का अवसर देना कोई आवश्यक नहीं था और न ही ऐसा विधि में कोई प्रावधान है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट ने नामान्तरकरण विधि अनुसार सही होने से व कब्जा काश्त व हक अधिकारों पर होने से आपत्ति नहीं की तत्पश्चात अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा अपना होना व 1/3 हिस्सा सुगना का होना व 1/3 हिस्सा सायरी का होना स्वीकार किया और उक्त हिस्सा स्वीकार करते हुए दिनांक 25.07.2016 को अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सुगना का हिस्सा अपने पक्ष में तर्क करवा लिया, जिस तर्कनामा पर अपीलान्ट स्वंय के हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन

किया। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2015 (1)पेज–64, आर. आर.टी. 2014 (1)पेज–196, आर.आर.टी. 2014 (2)पेज–1255, आर.आर.टी. 2014–15 (supp.) पेज–467, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज–61, आर.आर.टी. 2012 (1)पेज–512, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज–614, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज–769, आर.आर.टी. 2010 (1)पेज–625, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज–801, आर.आर.टी. 2009–10 (supp.) पेज–535, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज–376, आर.आर.टी. 2008 (2) पेज–936, आर.आर.टी. 2008 (2) पेज–1095, आर.आर.टी. 2005 (1) पेज–630, आर.आर. टी. 2005 (2) पेज–1250 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की बहस का समर्थन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के वकील ने अपनी बहस में कथन किया की अपील अपीलान्ट स्वीकार करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में रेखाराम पुत्र धीराराम जाट निवासी ग्राम नन्दवाणी द्वारा हस्तगत प्रकरण में ग्राम नन्दवाणी के खसरा नम्बर 324 व 325 की वादग्रस्त भूमि की रजिस्टर्ड वसियत अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 23.12.94 को निस्पादित की गई। तत्पश्चात अपीलान्ट के नाना रेखाराम का वर्ष 2004 में देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट द्वारा अपने नाना की स्वअर्जित सम्पति बताते हुऐ उक्त वसियतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करने हेतु पटवारी हल्का को निवेदन किया।

प्रकरण में पटवारी हल्का भेड़ द्वारा वसीयतकर्ता रेखाराम दिनांक 8.11.2004 को फौत हो जाने से उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि मानते हुए एवं हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का उक्त वसीयत के आधार पर रेखाराम की पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या–2 सुगनी व रेखाराम की पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सायरी तथा वसियत के आधार पर अपीलान्ट जोगाराम के नाम नामान्तरकरण भरा गया, जिसे निरीक्षक भू अभिलेख भूण्डेल तहसील खींवसर ने अपनी जॉच में अंकन सही पाया जाने पर तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 10.12.2004 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि वसियतकर्ता रेखाराम की स्वअर्जित हो, के संबंध में अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 सुगनी द्वारा वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट व स्वंय की संयुक्त खातेदारी व स्वामित्व की एवं पैतृक सम्पति बताते हुए अपीलान्ट के पक्ष में हक त्याग पत्र दिनांक 25.7.2016 को निस्पादित किया है, जिस पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने उक्त वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होना स्वीकार किया है। तहसीलदार खींवसर द्वारा नामान्तरकरण वर्ष 2004 में स्वीकृत किया गया था, अपीलान्ट द्वारा अब 12 वर्ष पश्चात उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण जैर अपील विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सार हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाया जाकर निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर